

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 258 / 2012 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 28-09-2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

**बनाम**

1. रनु उर्फ रणजीतसिंह गुर्जर पुत्र राममूर्ती गुर्जर, उम्र 25 वर्ष।
2. बंटीसिंह पुत्र रामराज गुर्जर उम्र 22 वर्ष।
3. जितेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र राममूर्तिसिंह गुर्जर, उम्र 35 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम बंकेपुरा थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल अपराधिक प्र0कं0 725 / 2012 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण कं0 258 / 2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्तगण द्वारा श्री भगवती राजौरिया एवं श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्तागण

//नि-र्ण-य//

//आज दिनांक 30-11-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी रनु उर्फ रणजीत का विचारण धारा 302, 404 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-बी)ए, 27(3) आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में तथा शेष आरोपी जितेन्द्र का विचारण धारा 302/120बी, 201 भा.दं.वि के अपराध के आरोप के संबंध में तथा आरोपी बंटी का विचारण धारा 302/120बी, 201 एवं 404 भा.दं.वि के अपराध के संबंध में भी किया जा रहा है। आरोपी रनु उर्फ रणजीत पर आरोप है कि दिनांक 03.07.2012 के शाम 6 बजे ग्राम बंकेपुरा में पुलंदर और प्रकाश गुर्जर के ट्यूबवेल के पास मृतिका मनु की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। उस पर यह भी आरोप है कि मृतिका की चल सम्पत्ति मंगलसूत्र, जनानी अंगूठी, सीतारानी, सोने की चार चूड़ियाँ बेईमानीपूर्वक यह जानते

हुए दुर्विनियोग किया कि ऐसी सम्पत्ति मृतिका के द्वारा उसकी मृत्यु के समय अपने कब्जे में रखी हुई थी उक्त सम्पत्ति को लेकर उसका दुर्विनियोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 315 बोर का एक कट्टा बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुए था और यह भी आरोप है कि उसके द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग वर्तमान अपराध कारित करने हेतु किया गया। आरोपी बंटी व जितेन्द्र पर आरोप है कि सहआरोपी रनु उर्फ रणजीत के साथ मृतिका मनु की हत्या करने का षड्यंत्र करने और उस षड्यंत्र के अनुसरण में मृतिका की हत्या कारित की गई तथा हत्या का अपराध की साक्ष्य को बिलोपित करने के आशय से घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल उठाकर दूसरी मोटरसाइकिल रखकर साक्ष्य का बिलोपन किया। इसके अतिरिक्त आरोपी बंटी पर यह भी आरोप है कि उसके द्वारा मृतिका की मृत्यु के समय उसके कब्जे में रखी हुए सम्पत्ति जेबरात को लेकर उसका दुर्विनियोग किया।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि मृतिका मनु आरोपी रनु उर्फ रणजीत की विवाहिता पत्नी थी, मनु का विवाह आरोपी रणजीत के साथ घटना के एक साल पूर्व सम्पन्न हुआ था, यह भी अविवादित है कि घटना दिनांक को आरोपी रनु उर्फ रणजीत मृतिका मनु को उसके मायके से अपने साथ लेकर अपने गांव आ रहा था।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 03.07.2012 को राममूर्ति गुर्जर पुत्र बाबूसिंह गुर्जर निवासी बंकेपुरा के द्वारा रिपोर्ट पुलिस को लिखाई गई कि उक्त दिनांक को उसका लडका रणजीतसिंह उसकी बहू को उसकी ससुराल नाऊपुरा नूराबाद मुरैना से मोटरसाइकिल से लेकर बंकेपुरा आ रहे थे। शाम को 6 बजे जैसे ही पुलन्दर, प्रकाश के ट्यूवबेल के पास आम रास्ता बंकेपुरा रोड पर पहुँचे तो इसी दौरान उसके लडके रणजीत का मोबाइल फोन जितेन्द्र के पास आया बताया कि गोली लग गई है और वह रोने लगा था। उक्त जानकारी होने पर फरियादी राममूर्ति और उसका लडका जितेन्द्र घटनास्थल पर आए तो देखा कि उसकी बहू मनु कच्चे रास्ते में मृत हालत में पड़ी हुई थी और उसके सीने में बाईं तरफ गोली लगकर घाँव दिख रहा था और खून निकल रहा था तथा सिर में चोट लगी हुई थी। काला बेग भी बहू के पास था और वहाँ पर बॉक्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 बी. बी. 0180 भी पड़ी हुई थी। बहू पाइजैब, तोडिया, कानों में टोक्स, लाल रंग का डोरा और मंगलसूत्र पहने हुए थी, हाथों में चूडिया पहने हुए थी। उपरोक्त घटना की जानकारी होने पर पुलिस थाना गोहद मौके पर आ गई थी। उसके द्वारा पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी बहू को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसका लडका रणजीत घायल होकर बेहोश हो गया था, जो कि देहातीनालसी में उक्त रिपोर्ट

लिखी गई।

04. प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। शव का पंचायतनामा बनाया जाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतिका मनु के मायके पक्ष वाले भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे, उनके भी कथन लेखबद्ध किए गए। दौरान विवेचना यह तथ्य आया कि घटना दिनांक को आरोपी रणजीतसिंह जो कि अपनी पत्नी को लिवाने के लिए गया था। उसकी पत्नी के मायके वालों से उसका मुँहवाद हो गया था जिस पर उसने अपनी पत्नी मनु की रास्ते में आते समय गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद जितेन्द्र, बंटी गुर्जर के द्वारा जिस मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ए. 3089 से रणजीत घटना के समय आया था और घटना के समय उसके पास थी उसे उठाकर ले गए और अपनी गाड़ी लाल रंग की बॉक्सर एम.पी. 30 बी.बी. 0180 मौके पर पटक दी। आरोपी रणजीत के द्वारा अपने पिता फरियादी राममूर्ति के समक्ष इस बात को स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी मनु की हत्या गोली मारकर कर दी है। दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, कारतूस का खाली खोका 8 एम.एम., एक जंजीर गले में पहनने की चपटी मृतिका के शव के पास तथा एक मोटरसाइकिल बॉक्सर कम्पनी की जिसका नम्बर एम.पी. 30 बी.बी. 180, चूड़ी के टुकड़े तथा कथई कलर का बेग और एक प्लास्टिक के डिब्बे में सोने के बृजवाला, बटुआ में चांदी की दो जोड़ी तोड़िया, पेटीकोट, 3 साड़ी, ब्लाउज, रुमाल और एक पर्स की जप्ती की गई। आरोपी रणजीत से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 15 लिया गया और उसके आधार पर प्र.पी. 16 के अनुसार एक 315 बोर का कट्टा चालू हालत में जप्त किया गया।

05. प्रकरण की अग्रिम विवेचना के दौरान आरोपी रणजीत से पुनः पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिया गया और उसके आधार पर उसके पेश करने पर सोने की सीतारानी हार, चार चूड़ी सोने की जिस पर लाख लगी हुई थी प्र.पी. 18 के अनुसार जप्त की गई। इसके अतिरिक्त आरोपी रणजीतसिंह से एक काले रंग की लेदर के रेग्जीन का पर्स और एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल बिना सिम के जप्त किया गया। आरोपी बंटी से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया और प्र.पी. 19 जप्तीपत्रक के अनुसार एक मंगलसूत्र 3 कडी का, एक नग जनानी सोने की अंगूठी और डिस्क्वर मोटरसाइकिल बेगनी कलर की स्टीकर और काले रंग की जिसका रंग काला था एम.पी. 07 एम.ए. 3089 तथा घटना के समय आरोपी रणजीत के द्वारा पहनी हुई टी-शर्ट जिसमें खून के छींटे लगे हुए थे और एक वांस की लाठी जप्त की गई। आरोपी जितेन्द्र से सोने की एक जंजीर, मोबाइल इन्टैक्स कम्पनी का जो कि रणजीत का था और मोबाइल जिस पर कि आरोपी रणजीत ने जितेन्द्र को फोन किया था जो

कि नोकिया कम्पनी का था प्र.पी. 30 के जप्तीपत्रक अनुसार जप्त किया गया। जप्तशुदा अग्नयेशस्त्र को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया। मोबाइल का कॉल डिटेल् भी प्राप्त किया गया। आरोपी रणजीत के विरुद्ध आयुध अधिनियम का अपराध चलाए जाने के संबंध में अभियोजन स्वीकृति ली गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि उपार्षण होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302, 404 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-बी)ए, 27(3) आयुध अधिनियम का अपराध एवं सहआरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302/120बी, 201 भा.दं.वि के अपराध तथा आरोपी बंटी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302/120, 201 एवं 404 भा.दं.वि का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

07. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना अभिकथित करते हुए आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा बताया गया है कि वह घटना दिनांक को अपनी पत्नी मनु को लेकर अपने गांव आ रहा था और शाम के 6 बजे ग्राम बंकपुरा के पास प्रकाश गुर्जर के ट्यूब वेल के पास पहुँचे तभी अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उसकी पत्नी मनु का सामान की लूटपाट करने लगे और उसे भी सिर व हाथ में चोट आई। उसकी पत्नी के द्वारा विरोध किये जाने पर अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर और शोरगुल सुनकर अज्ञात बदमाश वहाँ से भाग गए तब उसने अपने भाई जितेन्द्र को फोन पर सूचना दी और वह अपनी पत्नी को मरणाशन्न हालत में देखकर वेहोश हो गया था। बचाव साक्षी के रूप में स्वयं आरोपी रनु उर्फ रणजीत के कथन हुए हैं।

08. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 03.07.2012 के शाम 6 बजे ग्राम बंकपुरा में पुलंदर और प्रकाश गुर्जर के ट्यूबवेल के पास मृतिका मनु की मृत्यु कारित हुई?
2. क्या मृतिका मनु की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
3. क्या आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा सआशय या जानबूझकर मृतिका की मृत्यु कारित कर हत्या की गई?



4. क्या आरोपी बंटी व जितेन्द्र के द्वारा सहआरोपी रनु उर्फ रणजीत के साथ मृतिका मनु की हत्या करने का षड्यंत्र कर उस षड्यंत्र के अनुसरण में मृतिका की हत्या कारित की गई?
5. क्या आरोपी रनु उर्फ रणजीत एवं बंटी के द्वारा मृतिका की चल सम्पत्ति मंगलसूत्र, जनानी अंगूठी, सीतारानी, सोने की चार चूड़ियाँ बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए दुर्विनियोग किया कि ऐसी सम्पत्ति मृतिका के द्वारा उसकी मृत्यु के समय अपने कब्जे में रखी हुई थी या उसके वारिस उसके हकदार थे उक्त सम्पत्ति को लेकर उसका दुर्विनियोग किया?
6. क्या आरोपीगण बंटी एवं जितेन्द्र के द्वारा हत्या के अपराध की साक्ष्य को बिलोपित करने के आशय से घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल उठाकर दूसरी मोटरसाइकिल रखकर साक्ष्य का बिलोपन किया?
7. क्या आरोपी रनु उर्फ रणजीत उक्त दिनांक समय स्थान पर वह अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुए पाया गया?
8. क्या आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग घटना कारित करने में किया?

#### —: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

09. मनु की मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 तो कि मृतिका का पिता है को फोन से सूचना मिलने पर कि उसकी पुत्री को मार दिया गया है वह घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि उसकी लड़की को गोली लगी है। पुलिस उसके सामने घटनास्थल पर आई थी और सफीनाफार्म प्र.पी. 1 जारी कर लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया जाना बताया है। मृतिका मनु की मृत्यु हो जाना साक्षी सरदारसिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी उक्त बात का समर्थन किया गया है जो कि घटनास्थल पर मनु की लाश पड़ी हुई देखना बताया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेन्द्रसिंह अ0सा0 3, राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 व कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 के द्वारा भी मृतिका मनु को घटनास्थल पर मृत अवस्था में देखना बताया है। साक्षी राममूर्ति अ0सा0 4 व कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 के द्वारा भी सफीनाफार्म प्र.पी. 1 और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया जाना बताया है। मृतिका की मृत्यु के पश्चात् उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी हुआ है जो कि डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 6 के द्वारा दिनांक 04.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में करना बताया है। इस प्रकार मृतिका मनु की मृत्यु दिनांक

03.07.2012 को हो जाना उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होती है।

10. मृतिका मनु की मृत्यु के प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर घटना के सूचनाकर्ता राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 जो कि मृतिका का ससुर एवं आरोपी रणजीत का पिता है के द्वारा बताया है कि घटना के समय वह घर पर था, उसके लडके के फोन पर घटना के संबंध में सूचना आई थी कि गांव के पास प्रकाश के बोर के पास घटना हो गई है, तब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि उसकी बहू मनु को गोली लगी है और वह खत्म हो गई थी। वहाँ पर अन्य लोग भी आ गए थे और बहू के मायके पक्ष के लोग भी आ गए थे। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी थी जो देहातीनालसी प्र.पी. 8 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा सफीनाफार्म प्र.पी. 1 जारी करना और लाश पंचायतनामा प्र0पी0 2 तैयार करना तथा लाश को सुपुर्दगी में मिलना जो कि लाश सुपुर्दगी रसीद प्र.पी. 9 होना बताया है।

11. मृतिका मनु की गोली लगकर घटनास्थल पर मृत्यु होना साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1, राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 के कथनों में आया है। इस संबंध में मृतिका मनु की मृत्यु होने के उपरांत मृत्यु की जाँच के दौरान सफीनाफार्म प्र.पी. 1 जारी कर लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया जाना उपनिरीक्षक/जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा बताया गया है जो कि सफीनाफार्म प्र.पी. 1 एवं लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। मृतिका की मृत्यु की जाँच के संबंध में सफीनाफार्म प्र.पी. 1 एवं लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाये जाने की पुष्टि पूरनसिंह अ0सा0 1, राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 एवं कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 के कथनों से भी होती है। लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख आया है कि मृतिका मनु की मृत्यु सीने में बाईं तरफ गोली लगने तथा पेट में बाईं तरफ पसली के पास गोली लगने से होना प्रतीत होती है जो कि ग्राम बंकेपुरा पुलन्दर व प्रकाश गुर्जर के ट्यूब बेल के सामने कच्चे रास्ते पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और इस दौरान उसके सीने में बाईं तरफ दो जगह गोली के निशान और कमर के पास पसली के नीचे भी घाँव गोली लगने का दिखाई देना पाया गया था।

12. मृतिका की मृत्यु गोली लगने से होना डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 6 के द्वारा जिन्होंने कि मृतिका का शव परीक्षण किया है ने अपने कथनों में बताया है। जिनके द्वारा शव परीक्षण के दौरान मृतिका के बाएँ क्लेरीकूलर रीजन पर कटे फटे घाँव जो कि संख्या में दो थे जिनके साइज 0.8 गुणा 0.5 एवं 0.7 गुणा 0.4 से.मी. का था जिसमें कि ब्लेकिंग एवं चार्मिंग उपस्थित थी, जिनका आकार 2 गुणा 3 से.मी. का था जिसका मार्जिन अंदर की ओर मुड़ा

हुआ था और जिनके डायरेक्शन मीडियल और नीचे की ओर से था दोनों घाँव अग्नेयशस्त्र से पहुँचाई गई थी। एक कटा हुआ घाँव जिसका आकार 2 गुणा 1 से.मी. का था जो पांचवीं रिव के एक्लेजरी लाइन पर मौजूद था और बाईं ओर स्थित था जिसमें ब्लेकनिंग और चार्मिंग उपस्थित था जिसका साइज 3 गुणा 3.5 से.मी. था जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर था। उक्त चोट अग्नेयशस्त्र का प्रवेशन घाँव था जिसके किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। मृतिका के बाएँ फेफड़े में मेटेलिक फोरेन वॉडी बुलेट थी जो कि बाएँ फेफड़े के मध्य में उपस्थित थी और यकृत में भी एक मेटेलिक फोरेन वॉडी बुलेट बाएँ लोव में थी। मृतिका के शरीर में से दो मेटेलिक बुलेट निकालकर शील्ड कर संबंधित आरक्षक को दिया गया था। मृतिका के सिर पेट में 12 से 16 सप्ताह का भ्रूण भी था। मृतिका की मृत्यु छाती और लीवर में अग्नेयशस्त्र की चोट जो कि मृत्यु के पूर्व पहुँचाई गई थी के कारण होना जो कि मृतिका को आई हुई चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना और मृत्यु की अवधि परीक्षण के 6 से 24 घण्टे के भीतर की थी। शव में रायगर मोटिस आना प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय अभिमत के आधारपर भी मृतिका की मृत्यु अग्नेयशस्त्र से उसके शरीर पर गोली लगने से हुई थी जो कि मृतिका के शरीर पर गोली लगने की जगह पर ब्लेकनिंग एवं चार्मिंग भी पाया गया था।

13. इस प्रकार मृतिका मनु की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई हो अथवा उसकी मृत्यु आत्महत्यामक प्रकार की हो अथवा उसकी मृत्यु दुर्घटनात्मक हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु गोली लगने से जो कि उस पर जान से मारने के उद्देश्य से चलाई गई है से होना प्रमाणित होती है, जो कि उसकी मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होना पाया जाता है।

#### बिन्दु क्रमांक 03 लगायत 06:-

14. सर्वप्रथम प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र तथा बंटी के घटना में शामिल होने और उनके द्वारा घटना कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आरोपी बंटी व जितेन्द्र पर मृतिका मनु की हत्या के षड्यंत्र में सहआरोपी रणजीतसिंह के साथ शामिल होने के संबंध में और उनके द्वारा साक्ष्य का बिलोपन किये जाने के संबंध में उन पर आरोप है और इसके अतिरिक्त आरोपी बंटी पर मृतिका की सम्पत्ति जो कि मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी उसका दुर्विनियोग करने के संबंध में भी आरोप है।

15. जहाँ तक आरोपी बंटी एवं जितेन्द्र के द्वारा मृतिका मनु की हत्या करने के षड्यंत्र में सहआरोपी रणजीत के साथ सहमत होने और उसके अनुसरण में उक्त मृतिका मनु

की हत्या कारित होने का प्रश्न है, उक्त आरोपीगण के द्वारा इससंबंध में कोई भी षड्यंत्र किया जाना अथवा आरोपी रणजीत के साथ इस कार्य हेतु उनके सहमत होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में आरोपीगण जितेन्द्र एवं बंटी के द्वारा मृतिका मनु की हत्या हेतु सहआरोपी रणजीत से किसी प्रकार की कोई सहमति की गई हो और उसके अनुसरण में मनु की हत्या हुई हो प्रमाणित नहीं होता है।

16. आरोपीगण जितेन्द्र एवं बंटी के द्वारा साक्ष्य का विलोपन करने के संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि उक्त आरोपी जितेन्द्र व बंटी के मौके पर आरोपी रणजीत जिस मोटरसाइकिल से आया था वह मोटरसाइकिल काले रंग की डिस्कवर जिसका क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 3089 था उसे हटाकर गांव में ले गए एवं उसकी जगह बंटी की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 बी.बी. 0180 को घटनास्थल पर उनके द्वारा डाल दिया गया जिससे कि हत्या की साक्ष्य का विलोपन हो सके।

17. साक्ष्य विलोपन के संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर कोई भी चक्षुदर्शी साक्ष्य जिसने कि घटनास्थल पर पहले से पड़ी हुई मोटरसाइकिल को देखी हो और यह देखा गया हो कि मोटरसाइकिल को वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण उठाकर और उसके स्थान पर बंटी की मोटरसाइकिल को डालते हुए देखा गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है।

18. जहाँ तक मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 बी.बी. 0180 का प्रश्न है, उक्त मोटरसाइकिल घटनास्थल से जप्त की जानी अभियोजन के द्वारा बताई गई है, जैसा कि इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल की जप्ती घटनास्थल से किया जाना बताया है। यह उल्लेखनीय है कि घटना की देहातीनालसी रिपोर्ट जो कि घटना के पश्चात् घटना दिनांक को ही की गई है उसमें जिस मोटरसाइकिल से आरोपी रणजीत मृतिका मनु के साथ आ रहा था उसका क्रमांक एम.पी. 30 बी.बी. 0180 उल्लेखित किया गया है और प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि आरोपी उक्त मोटरसाइकिल से न आकर के डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 3089 से आया था। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 एवं कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 के कथनों में कहीं भी आरोपी रणजीत के मोटरसाइकिल डिस्कवर एम.पी. 07 एम.ई. 3089 से मृतिका मनु को लेने आने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और साक्षी कल्ली गुर्जर के द्वारा स्पष्ट रूप से इस संबंध में उसको दिए गए सुझाव से इन्कार किया है। ऐसी दशा में आरोपी रणजीत मोटरसाइकिल डिस्कवर एम.पी. 07 एम.ई. 3089 से घटना के समय आ रहा हो ऐसा उक्त आधार पर भी प्रमाणित नहीं है।



19. अभियोजन के द्वारा आरोपी बंटी से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 3089 की जप्ती की जाने के संबंध में बताया गया है जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी जे.एस.यादव अ0सा0 16 के द्वारा प्र.पी. 19 के अनुसार आरोपी बंटी से मोटरसाइकिल की जप्ती के संबंध में बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्र.पी. 20 के अनुसार आरोपी बंटी से टी-शर्ट जो कि घटना के समय आरोपी पहने होना और एक बांस की लाठी जप्त करना बताया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि आरोपी बंटी से उक्त मोटरसाइकिल की जप्ती की भी गई हो तो भी प्रकरण में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उक्त मोटरसाइकिल आरोपी रणजीतसिंह घटना दिनांक को चलाकर ला रहा था और घटना के समय उक्त मोटरसाइकिल ही रणजीतसिंह के पास थी और उक्त मोटरसाइकिल को आरोपी बंटी और जितेन्द्र उसे घटनास्थल से उठाकर ले गए हो। जप्तीकर्ता अधिकारी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह उठता है तथा स्वतंत्र साक्षी के द्वारा भी जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त बताई गई मोटरसाइकिल की जप्ती तथा प्र.पी. 20 के अनुसार आरोपी बंटी से टी-शर्ट व बांस की लाठी की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

20. आरोपीगण बंटी एवं जितेन्द्र के द्वारा घटना घटित होने के उपरांत साक्ष्य के विलोपन करने हेतु कोई कृत्य किया गया हो ऐसा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

21. आरोपी बंटी के विरुद्ध मृतिका मनु की सम्पत्ति जो मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी के दुर्विनियोग का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा आरोपी बंटी से मृतिका के सोने के जेवर की जप्ती घटना के पश्चात् होनी बताई जा रही है और इस आधार पर उक्त अपराध में उसकी संलिप्तता होनी बताई जा रही है।

22. उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन साक्षी जे.एस. यादव अ0सा0 16 जो कि प्रकरण के अग्रिम विवेचना अधिकारी है और जिनके द्वारा आरोपी बंटी से जप्ती की जानी बताई जा रही है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 12.07.2012 को आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 1 बनायाथा और उक्त दिनांक को ही आरोपी बंटी से पूछताछ की थी जिसने पूछताछ के दौरान मृतिका मनु के तोड़ा हुआ मंगलसूत्र एवं सोने के गहने तथा मोटरसाइकिल बरामद कराने के संबंध में बताया था जिस पर उन्होंने आरोपी का मेमो प्र.पी. 26 का लेखबद्ध किया था। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके पेश करने पर एक मंगलसूत्र, दो जनानी अंगूठी और डिस्क्वर मोटरसाइकिल जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 19 बनाया था।

23. उक्त जप्तीकर्ता साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बता रहा है कि सहआरोपी रणजीत के द्वारा बताया गया था कि आरोपी बंटी गुर्जर भी अपराध में शामिल है, बंटी को जेल के पास गोहद में गिरफ्तार किया गया था और वहीं पर उसके गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी, जबकि इस संबंध में गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 31 में आरोपी बंटी की गिरफ्तारी थाना गोहद में होने का उल्लेख है। आरोपी बंटी से पूछताछ करने के संबंध में भी विवेचनाधिकारी के द्वारा बताया गया है जहाँ पर आरोपी बंटी को गिरफ्तार किया गया था वहीं पर उससे पूछताछ कर प्र.पी. 26 की लिखापट्टी की गई थी। आरोपी बंटी की गिरफ्तारी का स्थान जेल के पास खेत में होना विवेचक के द्वारा बताया जा रहा है और वहीं पर उसका मेमो प्र.पी. 26 लेखबद्ध करना अभिकथित कर रहा है, किन्तु प्र.पी. 26 के मेमो में मेमो लेने का स्थान थाना गोहद होना बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मेमो के दोनों ही साक्षीगण आरक्षक राजेन्द्रसिंह एवं प्र0आर0 तहसीलदार थाना गोहद में पदस्थ उनके पुलिस कर्मचारीगण हैं। आरोपी बंटी से उसके मेमो के आधार पर जप्ती की कार्यवाही दिनांक 12.07.2012 को 17:20 बजे की जानी दर्शाई गई है इस प्रकार उसकी गिरफ्तारी और मेमो के 50 मिनट के अंदर उक्त जप्ती की कार्यवाही होना बताई जा रही है। इस संबंध में जैसा कि स्पष्ट है कि स्वयं विवेचनाधिकारी आरोपी की गिरफ्तारी एवं उसके मेमो लेने के स्थान के संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है और इस संबंध में दस्तावेजों से भिन्न कथन उनके द्वारा किया जा रहा है। जप्ती की कार्यवाही के संबंध में जो कि प्र.पी. 19 के अनुसार की जानी बताई जा रही है उक्त जप्ती की कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र साक्षी से प्रमाणित नहीं है और इस संबंध में साक्षी मुन्ना खटीक के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और अन्य साक्षी अजय बघेल जो कि पुलिस थाना गोहद का आरक्षक है के कथन में भी प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर विपरीत तथ्य आया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी बंटी का मेमो लेने के स्थान और इस संबंध में की गई कार्यवाही ही संदिग्ध है और जप्ती की कार्यवाही भी युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी बंटी से उक्त जप्ती पत्रक में बताए गए जेबरों की की बरामदगी का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में जबकि आरोपी बंटी से जेबरों की बरामदगी का तथ्य ही प्रमाणित नहीं है। उक्त आरोपी को विरुद्ध मृतिका के जेबर जो कि मृत्यु के समय उसके कब्जे में थे के दुर्विनियोग के संबंध में अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

24. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के विरुद्ध भी इस आशय का आरोप है कि उसके द्वारा मृतिका की मृत्यु के समय उसके कब्जे की सम्पत्ति को लेकर उसका दुर्विनियोग किया गया। उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा घटना के पश्चात् उक्त आरोपी रणजीत से

मृतिका के सोने के जेबरात की जप्ती किया जाने के संबंध में बताया जा रहा है और इस आधार पर उसके अपराध में संलग्नता होनी दर्शाई गई है। उपरोक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता/विवेचनाधिकारी जे.एस.यादव अ0सा0 16 के द्वारा आरोपी रणजीत से पूछताछ कर उसके विभिन्न समय व दिनांक को जो कि दिनांक 07.07.2012 को प्र.पी. 21, 22, दिनांक 08.07.2012 को प्र.पी. 23 एवं दिनांक 09.07.2012 को प्र.पी. 24 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना बताया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.07.2012 को लिए गया कथित मेमोरेण्डम प्र.पी. 21, 22 के आधार पर कोई भी बरामदगी आरोपी से नहीं की गई है, जबकि प्र.पी. 22 में उसने जेबरों की बरामदगी के संबंध में कथन देना बताया है। जेबरों की बरामदगी के संबंध में दिनांक 08.07.2012 को पुनः उसे मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 23 के अनुसार लिया जाना बताया गया है और उसके आधार पर पुलंदर के खेत के पास स्थिति खण्डहर से उसके पेश करने पर एक सोने का सीतारानी हार बजनी 5 तोला, चार नग सोने की चूड़ी बजनी करीब पौने पांच तोला जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 18 तैयार करना बताया है। प्र.पी. 23 के मेमोरेण्डम कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी आरोपी के इस संबंध में मेमोरेण्डम कथन लिया गया है, किन्तु कोई बरामदगी दिनांक 07.07.2012 को नहीं हुई है।

25. जप्तीकर्ता अधिकारी के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उक्त बिन्दु पर कंडिका 13 में मेमोरेण्डम में वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है जैसा कि विवेचना अधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है। उक्त मेमोरेण्डम के साक्षी के रूप में पुलिस आरक्षक महेश कुमार अ0सा0 9 के कथन कराए गए हैं जो कि थाना गोहद में पदस्थ पुलिस कर्मचारी है, जबकि महेश कुमार के द्वारा स्वीकार किया गया है कि पुलिस थाना गोहद के आसपास काफी मकान बने हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं और रोड भी चालू है, वहाँ स्वतंत्र साक्षी मिल सकते हैं, किन्तु कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है, दोनों ही पुलिस कर्मचारियों को साक्षी बनाया गया है। ऐसी दशा में उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती जो कि प्र.पी. 18 के अनुसार की जानी बताई गई है का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त जप्ती की कार्यवाही के संबंध में भी जप्तीकर्ता अधिकारी जे.एस.यादव के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 10 में जप्ती की कार्यवाही उनके द्वारा घटना में की जानी बताई जा रही है, जबकि जप्ती पत्रक में खण्डहर के पास पुलन्दर के खेत से जप्ती किया जाना दर्शाया गया है। उक्त जप्तशुदा वस्तुओं को मौके पर शील्ड किया गया है और उन पर शील नमून की छाप लगाई गई है इस बात से भी जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा मना किया गया है। ऐसी दशा में जप्तशुदा वस्तुओं की कोई मौके पर बरामदगी तथा शीलबंद किये जाने की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं है। जप्ती



की कार्यवाही के संबंध में स्वतंत्र साक्षी मुन्नालाल खटीक के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है और जप्ती के अन्य साक्षी तहसीलदारसिंह थाना गोहद का ही प्रधान आरक्षक है और उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत भी उक्त कार्यवाही के संबंध में विवेचना अधिकारी/जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही असंदिग्ध रूप से की गई है ऐसा नहीं माना जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी रणजीतसिंह के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर सोने के जेबरतों की जप्ती का तथ्य जो कि मृतिका की मृत्यु के समय उसके आधिपत्य में होने बताए जा रहे हैं प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है और इस संबंध में आरोपी रणजीत के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

26. अब मुख्य रूप से आरोपी रनु उर्फ रणजीत जिस पर कि उसकी पत्नी मनु की हत्या करने के संबंध में आरोप लगाया गया है इस बिन्दु पर प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

27. वर्तमान घटना जो कि ग्राम बंकेपुरा के पास गांव के बाहर की होनी बताई जा रही है। घटना के समय घटनास्थल पर आरोपी रनु उर्फ रणजीत एवं उसकी पत्नी मृतिका मनु थी। इस प्रकार घटनास्थल के संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी जिन्होंने कि घटना घटित होते हुए देखी हो मौजूद नहीं है। अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटनास्थल पर घटना के पश्चात् सूचना मिलने पर सूचनाकर्ता राममूर्ति अ0सा0 4 जो कि आरोपी रणजीत का पिता भी है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके लडके अर्थात् आरोपी रणजीत का फोन आया था कि प्रकाश के बोर के पास घटना हो गई है जिस पर वह और उसका अन्य लडका जितेन्द्र घटनास्थल पर पहुँचे थे तो उसने देखा कि उसकी बहू मनु को गोली लगी थी, वह खत्म हो गई थी, उसके लडके रणजीत को भी सिर में चोट आई थी। गांव के अन्य लोग भी वहाँ पहुँच गए थे तथा बहू के मायके पक्ष के लोग भी वहाँ आ गए थे। पुलिस को उसने सूचना दी थी जो कि देहातीनालसी प्र.पी. 8 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर होना बताया है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 10 तैयार करना जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी के द्वारा अस्वभाविक रूप से कथन करते हुए यह भी बताया है कि उसे बाद वह वेहोश हो गया था।

28. उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान साक्षी से यह पूछे जाने पर कि वह मौके पर गया था तब उसे पता चला था कि उसके लडके रणजीत सिंह अपनी बहू को लिवाने के उपर से मुँह बाद हो जाना और गुस्से में आकर रास्ते में कटूटे से गोली मारकर बहू की हत्या कर देने के सुझाव से इन्कार किया है। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके लडके ने उसके सामने कबूल



किया था कि उसी ने बहू मनु की हत्या गोली मारकर कर दी है।

29. इस प्रकार साक्षी राममूर्ति अ0सा0 4 जिसे कि यद्यपि पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु उसके कथन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटनास्थल से आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा फोन कर उन्हें घटनास्थल पर बुलाया था। घटनास्थल पर उसके द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत को देखा था तथा मनु को गोली लगकर जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई देखा था। साक्षी के कथन के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि घटना स्थल पर मृतिका के मायके पक्ष के लोग भी आ गए थे एवं पुलिस भी घटनास्थल पर आ गई थी।

30. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 के द्वारा केवल यह बताया गया है कि उसे सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर आया और उसने देखा कि उसकी पुत्री को गोली लगी है और उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षी भी पक्षद्रोही रहा है उसे सूचक प्रश्न भी पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। अन्य अभियोजन साक्षी सरदारसिंह अ0सा0 2, राजेन्द्रसिंह अ0सा0 3, कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 जो कि मृतिका के मायके पक्ष के लोग हैं के कथनों में भी घटना में आरोपीगण के संलग्न होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं आया है।

31. इस प्रकार अभियोजन का प्रकरण चक्षुदर्शी साक्ष्य पर अवलंबित नहीं है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा मुख्य रूप से आरोपी रणजीत के द्वारा घटना के संबंध में की गई संस्वीकृति एवं न्यायकोत्तर संस्वीकृति के आधार पर प्रकरण की प्रामाणिकता होना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन का मुख्य जोर इस बात पर है कि घटना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर कि आरोपीगण के द्वारा ही घटना कारित की जाने का तथ्य प्रमाणित होना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है। अभियोजन के द्वारा बताए गए उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा की गई संस्वीकृति तथा न्यायकोत्तर संस्वीकृति—

32. आरोपी के द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में संस्वीकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आरोपी रणजीत के द्वारा पुलिस अधिकारी को अपराध कारित करने के संबंध में संस्वीकृति की जानी अभियोजन के द्वारा बताई गई है, किन्तु धारा 25 साक्ष्य

अधिनियम के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सावित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी संस्वीकृति जो कि किसी व्यक्ति ने उस समय की गई है जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध सावित नहीं की जाएगी, जबतक कि वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न की गई हो। इस प्रकार पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति का कोई साक्ष्य मूल्य होना नहीं कहा जा सकता है और इसके आधार पर अपराध में आरोपी के संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

33. न्यायिकोत्तर संस्वीकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कई प्रकरणों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायिकोत्तर संस्वीकृति स्वेच्छया से की गयी हो और हत्या करने का तथ्य प्रमाणित हो रहा है तो जिस व्यक्ति से वह की गयी है और जिन परिस्थितियों में वह की गयी है उसे ध्यान में रखते हुये दोषसिद्धी ठहराई जा सकती है, जैसा कि इस संबंध में चतुरसिंह विरुद्ध स्टेट आफ हरियाणा ए0आई0आर0 2012 एस0सी0 378, विष्णुप्रसाद शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 848, सहदेव विरुद्ध स्टेट आफ तमिलनाडू (2012) 6 एस0सी0सी0 403 में अवधारित किया गया है।

34. आरोपी के द्वारा की गई न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा अपने पिता राममूर्ति के समक्ष इस बात की संस्वीकृति की गई है कि उसी ने मृतिका मनु की हत्या गोली मारकर कर दी है और इस संबंध में राममूर्ति के द्वारा पुलिस को दिया गया धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन में स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य आया है।

35. उपरोक्त संबंध में आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा राममूर्ति के समक्ष उसके द्वारा अपराध कारित करने की बात को स्वीकार किया जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर साक्षी राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 के कथनों में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि आरोपी ने उसके समक्ष अपराध की कोई संस्वीकृति की हो। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किन्तु इस दौरान भी उसके पुलिस कथन प्र.पी. 11 में उक्त आशय की कोई संस्वीकृति आरोपी रणजीत के द्वारा किये जाने के तथ्य की कोई पुष्टि नहीं होती है। ऐसी दशा में न्यायिकोत्तर संस्वीकृति जो कि आरोपी रणजीत के द्वारा की जानी बताई जा रही है, वह प्रमाणित नहीं होती और इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

### परिस्थितिजन्य साक्ष्य—

36. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जहां तक प्रश्न है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध हो सकती है, किन्तु इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चयात्मक होनी चाहिये और परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिये जिससे कि निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि इस संबंध में शरद उर्फ दीपचन्द्र विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 एस.सी.सी. 487 तथा स्टेट ऑफ गोवा विरूद्ध संजय ठकराल (2007)3 एस.सी.सी. 755 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निम्न परिस्थिति पूर्ण होनी चाहिये—

1. वह परिस्थिति जिसके आधार पर दोषसिद्ध का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह पूर्णतः प्रमाणित हो।
2. इस प्रकार से प्रमाणित तथ्य के आधार पर मात्र इस बात की परिकल्पना होनी चाहिए कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है, अन्य कोई भी परिकल्पना जो कि आरोपी के अपराध करने के अतिरिक्त हो विद्यमान नहीं होनी चाहिए।
3. परिस्थितियां जो कि बताई जा रही हैं वे निश्चयात्मक होनी चाहिए।
4. परिस्थितियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह प्रमाणित तथ्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिकल्पना को नकारती हो।
5. परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो कि इस बात को दर्शाती हो जो कि आरोपी के निर्दोष होने के तथ्य को किसी प्रकार से नहीं छोड़ती हो तथा इस बात को स्पष्ट दर्शाती हो कि इस बात की सभी संभावनाएं हो कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया हो।

37. वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत के घटना में संलग्न होना और उसके विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होने के संबंध में जो परिस्थितियां बतायी गयी हैं वह मुख्य रूप से इस प्रकार से है :- घटना दिनांक को आरोपी रणजीत के साथ मृतिका मनु का साथ में होना, मृतिका मनु को आरोपी रणजीत के साथ घटनास्थल पर मृत अवस्था में देखा जाना, घटनास्थल पर घटना के समय आरोपी रणजीत एवं मृतिका मनु के अतिरिक्त अन्य किसी की उपस्थिति न होना, घटना घटित होते समय एवं उसके पश्चात् आरोपी रनु उर्फ रणजीत का व्यवहार प्रकरण में की गई

जप्ती की कार्यवाही एवं आरोपी रणजीत के द्वारा बचाव हेतु लिए गया झूठा आधार। इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य हेतु इस प्रकार के प्रकरणों में हेतुक एक महत्वपूर्ण तत्व है, किन्तु कोई हेतुक भी अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि घटना में आरोपी रणजीत को भी चोटें आई हैं।

38. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितियाँ जो कि अभियोजन के द्वारा बताई जा रही हैं कि उन परिस्थितियों को अभियोजन के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना होगा। निश्चित तौर से अभियोजन के द्वारा यदि आरोपी के विरुद्ध परिस्थितियों को प्रमाणित किया जा रहा है तो आरोपी को उसके विरुद्ध आई हुई प्रत्येक परिस्थिति का स्पष्टीकरण देना होगा।

प्रथम परिस्थिति— घटनास्थल पर आरोपी रनु उर्फ रणजीत एवं मृतिका की मौजूदगी।

39. यह अविवादित है कि मृतिका मनु आरोपी रनु उर्फ रणजीत की विवाहिता पत्नी है। घटना दिनांक को मृतिका मनु के अपने पति आरोपी रनु उर्फ रणजीत के साथ मोटरसाइकिल से अपने मायके ग्राम नाऊपुरा जिला मुरैना से साथ में आना आरोपी के द्वारा अभियुक्त परीक्षण के दौरान स्वीकार किया गया है जो कि आरोपी रणजीतसिंह के द्वारा घटना दिनांक को अपनी पत्नी मनु को लेकर अपने गांव बंकेपुरा 6 बजे करीब आना स्पष्ट रूप से बताया है, जो कि बचाव साक्षी के रूप में साक्ष्य के दौरान भी उसके द्वारा उक्त बात बताई गई है। इस प्रकार इस बिन्दु पर आरोपीगण की स्पष्ट स्वीकारोक्ति और प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी रणजीत के साथ मृतिका मनु अपने मायके से मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी ससुराल बंकेपुरा आ रही थी। इस प्रकार आरोपी रनु उर्फ रणजीत की मृतिका मनु के साथ घटना के समय मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित होता है।

द्वितीय परिस्थिति—मृतिका को आरोपी के साथ घटनास्थल पर मृत अवस्था में देखा जाना—

40. अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी रनु उर्फ रणजीत अपनी पत्नी मृतिका मनु जो कि अपने मायके ग्राम नाऊपुरा मुरैना में थी वहाँ से मोटरसाइकिल में लिवाकर अपने गांव ग्राम बंकेपुरा आ रहा था और इसी दौरान ग्राम बंकेपुरा के कच्चे रास्ते में प्रकाश के ट्यूब वेल के सामने घटना घटित हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के समय आरोपी रणजीत अपनी पत्नी के साथ था और अपने गांव के बाहर तक पहुँच चुका था। घटना दिनांक



03.07.2012 को शाम के 6 बजे की होनी बताई गई है और घटनास्थल पुलंदर व प्रकाश के ट्यूब वेल के पास आम रास्ता कच्चा मार्ग खेत वाला बंकेपुरा की होनी बताई गई है। जैसा कि नक्शामौका प्र.पी. 10 से भी स्पष्ट होता है। उक्त घटना जिसमें कि मृतिका मनु की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु उसके शरीर पर अग्नेयशस्त्र की गोली लगने से होकर सदोष मानव वध की कोटि का होना पाया गया है। घटनास्थल पर घटना के समय आरोपी रनु उर्फ रणजीत की मृतिका मनु के साथ मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित होना पाया गया है।

41. इस बिन्दु पर घटनास्थल पर पहुँचे घटना के सूचनाकर्ता राममूर्ति गुर्जर अ0सा0 4 के कथन में यह आया है कि घटना के समय वह घर पर था और उसके अन्य लडके जितेन्द्र के फोन पर उसके लडके रनु उर्फ रणजीत का फोन आया था कि कोई घटना गांव के प्रकाश के बोर के पास हो गई है, तब वह और उसका लडका जितेन्द्र दोनों घटनास्थल पर पहुँचे तो उसने देखा कि बहू मनु ही को गोली लगी थी, वह खत्म हो गई थी। इस संबंध में अभियोजन साक्षी पूरनसिंह जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा भी घटनास्थल पर पहुँचने पर अपनी पुत्री मनु को गोली लगकर मृत अवस्था में देखना बताया है और आरोपी रणजीत के भी वहाँ पर मौजूद होना जिसे कि चोट लगी होना अभिकथित किया है।

42. इस प्रकार जब मृतिका मनु की मृत्यु हुई उस समय एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर आरोपी रणजीत की मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित होता है।

अभियोजन के द्वारा बताई गई अन्य परिस्थिति:-

43. अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि घटनास्थल पर घटना के समय मृतिका मनु एवं आरोपी रणजीत के अलावा अन्य किसी की भी उपस्थिति नहीं थी। ऐसी दशा में घटनास्थल पर कोई अन्य व्यक्ति आए हों और उन्होंने मृतिका को गोली मारकर उसकी हत्या की हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, बल्कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत की घटनास्थल पर मौजूदगी का तथ्य घटना में उसके लिप्त होने और उसके द्वारा ही मनु की हत्या करने को प्रमाणित करता है।

44. इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि जब मृतिका मनु और आरोपी रणजीत बंकेपुरा के पास पुलन्दर और प्रकाश गुर्जर के ट्यूब वेल के पास पहुँचा तो 3-4 अज्ञात लोगों के द्वारा मनु के आभूषणों को लूटने का प्रयास किया गया और इसी दौरान उनके द्वारा मनु को गोली मार दी गई। इस संबंध में आरोपी रणजीत सिंह जिसको कि बचाव साक्ष्य के रूप में परीक्षण हुआ है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में भी यह बताया है कि शाम के 6 बजे के करीब जब वह अपने गांव बंकेपुरा के पास पुलन्दर और प्रकाश के ट्यूब

वेल के पास कच्चे रास्ते पर पहुँचा तभी 3-4 अज्ञात लोग जो मुँह से कपड़े बांधे हुए थे आए और उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया व उससे व उसकी पत्नी मनु से छीन झपटी करने लगे, विरोध करने पर अज्ञात व्यक्तियों में से एक ने उसके सिर में कट्टा का बट मारा और उसकी पत्नी मनु से सोने की जंजीर और आभूषणों की छीना झपटी करने लगे जिसमें कि उसकी जंजीर टूट गई थी और इसी दौरान शोरगुल की आवाज होने लगी और वह चिल्लाया तो अज्ञात लोगों में से एक ने उसकी पत्नी मनु को गोली मार दी जो कि उसके सीने में लगी थी जिस कारण चारों लोग डर के कारण सामान छोड़कर भाग गए।

45. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि घटना के समय आरोपी रनु उर्फ रणजीत अपनी पत्नी मृतिका मनु के साथ मौजूद था और उसकी मौजूदगी में ही मनु को गोली लगी है और उसकी मृत्यु कारित हुई है। बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उक्त आधार के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा कि क्या उसके द्वारा लिया गया आधार किसी प्रकार से संभावित है जो कि उसके द्वारा इस संबंध में दिया सही स्पष्टीकरण है?

46. घटना जो कि दिनांक 03.07.2012 के शाम के 6 बजे के करीब की होनी बताई गई है। घटना जो कि जुलाई के महीने में 6 बजे तक पूरी तरफ से दिन रहता है और यह भी उल्लेखनीय है कि दिन में ही 6 बजे के लगभग मृतिका मनु एवं उसके पति रनु उर्फ रणजीत गांव के निकट पहुँच चुका थे, जैसा कि इस संबंध में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट होता है। आरोपी जो कि बंकेपुरा गांव का रहने वाला है और गुर्जर जाति का है जो कि उस क्षेत्र में प्रभुत्व सम्पन्न जाति है जिनका कि उस ऐरिया में बर्चस्व है। ऐसी दशा में उनके गांव के पास ही पहुँचकर दिन के उजाले के समय ही कोई बदमाश आकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे यह भी स्वभाविक नहीं लगता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि गांव के या आसपास के किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने बदमाशों को घटना स्थल या उसके आसपास देखा हो।

47. यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रणजीत के द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश उसकी पत्नी के जेबर को लूटना चाहते थे और इसी लूट को अंजाम देने के दौरान उनके द्वारा उसकी पत्नी मनु को गोली मारी गई। निश्चित रूप से आरोपी जो कि मृतिका मनु का पति है एवं शरीरिक रूप से हट्टा कट्टा व्यक्ति भी है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि पत्नी के साथ लूट की घटना कारित हो रही हो और वह घटना को देख रहा हो।

48. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उसे भी सिर

में चोट पहुँचाई गई थी, जिससे कि वह बेहोश जैसी अवस्था में हो गया था। आरोपी रनु उर्फ रणजीत की चोट का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्षी राममूर्ति अ0सा0 4 उसका लडका रणजीत को सिर में चोट लगने के संबंध में बताया है और साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 ने भी रणजीत को सिर और हाथ में चोट देखने के संबंध में बताया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को ही आरोपी रनु उर्फ रणजीत का मेडीकल परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में किया गया है जिसमें कि उसके सिर के पेरायटल रीजन में 1.5 गुणा 0.3 गुणा 0.1 से.मी. की चोट और सूजन हाथ में पाई जाना डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा अपनी मेडीकल रिपोर्ट में उल्लेखित किया है। यद्यपि उक्त मेडीकल रिपोर्ट अभियोजन या बचाव पक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है, किन्तु बचाव पक्ष के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त मेडीकल रिपोर्ट जो कि अभियोजन ने स्वयं पेश किया है वह बचाव हेतु पढ़ा जा सकता है और इस आशय का आवेदनपत्र भी बचाव पक्ष के द्वारा पेश किया गया है।

49. इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत के मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में विचार किया जा सकता है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में आरोपी रनु उर्फ रणजीत को सिर के पेरायटल भाग में एक चोट होने का उल्लेख आया है, किन्तु स्पष्ट रूप से उसमें चिकित्सीय अभिमत में आरोपी के पूरी तरफ से होश हवास में होने का उल्लेख है। आहत रणजीत को जो पेरायटल रीजन में चोट होनी पाई गई है वह चोट साधारण प्रकार की होने का उल्लेख है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आरोपी रनु उर्फ रणजीत को सिर में कोई चोट पाए जाने के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी रणजीत के द्वारा अपनी पत्नी का कोई बीच बचाव किया गया है और इस बीच बचाव करने पर उसे इस प्रकार की चोटें आई हैं। निश्चित रूप से यदि पति के द्वारा प्रतिरोध किया जाता तो कथित बदमाश पहले पति को गोली मारते और उसे बचाने से रोकते, किन्तु ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार आरोपी रनु उर्फ रणजीत का घटना के समय कृत्य कदापि स्वभाविक नहीं लगता है।

50. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना में मृत्तिका मनु की कोई भी जेबर, गहने आदि की भी कोई लूट नहीं हुई है और न ही कोई ऐसी साक्ष्य आई है कि बदमाश उसके जेबर गहने आदि को घटनास्थल से लूटकर ले गए हैं। इस संबंध में आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा अपने अभियुक्त परीक्षण एवं साक्ष्य कथन में यह आधार लिया है कि घटनास्थल पर शोरगुल होने से अज्ञात लुटेरे भाग गए थे, किन्तु घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई शोरगुल हुआ हो या किसी भी गांव के या आसपास के व्यक्ति को उस घटना के बारे में पता चला हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। कथित बदमाश मात्र आरोपी रनु उर्फ रणजीत के



चिल्लाने पर और उसके शोरगुल के कारण घटनास्थल से भाग गए हो यह भी स्वभाविक नहीं लगता है। यदि कथित बदमाश व लुटेरे जिनका आशय मृतिका मनु के जेबर आदि को लूटने का था और यदि इस कार्यवाही के दौरान उसके पति के द्वारा कोई प्रतिरोध किया जा रहा था या उसके द्वारा कोई शोरगुल, हल्ला मचाया जा रहा था तो निश्चित रूप से पहले उसको चुप कराने का भी प्रयास करते, किन्तु उक्त आरोपी रनु उर्फ रणजीत के सिर में एक साधारण चोट और हाथ में खरौच के अतिरिक्त अन्य कोई भी चोट नहीं पहुँची है, जो कि इस तथ्य को साफतौर से नकारती है कि मौके पर अज्ञात बदमाश जो कि अग्नेयशस्त्रों से लेश होकर आए हैं और उनके द्वारा मनु के साथ लूट करने हेतु उसे और उसके पति को जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे रोका गया हो और उसके पति के द्वारा चिल्लाने पर या शोरगुल मचाए जाने पर वह भाग गए हो।

51. यह भी अवलोकनीय है कि घटना के पश्चात् आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा स्वयं मोबाइल से सूचना दी गई है। ऐसी दशा में वह कथित लूट की घटना में किसी प्रकार से वेहोश हुआ हो और उसके चोट इस प्रकार की हो कि वह बातचीत करने में समर्थ न हो ऐसा भी नहीं पाया जाता है। उक्त तथ्य भी इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि आरोपी के द्वारा ही स्वयं अपनी पत्नी मनु को गोली मार दी है और उसके पश्चात् उसके द्वारा घर में अपने पिता आदि को इसकी सूचना दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो सूचना आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा अपने पिता एवं भाई को दी जानी बताई जा रही है उस सूचना में भी कहीं भी उसके द्वारा उन्हें ऐसा नहीं बताया गया है कि उनके साथ कोई लूट आदि की घटना हुई है, केवल यह बताया गया है कि मनु को गोली लग गई है, जैसा कि फरियादी राममूर्ति के द्वारा दर्ज कराई गई देहातीनालसी रिपोर्ट में भी आया है। इस प्रकार घटना स्थल पर कथित रूप से अज्ञात बदमाशों की मौजूदगी अथवा अज्ञात बदमाशों के द्वारा घटा को अंजाम दिए जाने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार सही होना नहीं माना जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित घटना के समय एवं उसके पश्चात् उसके व्यवहार से भी यह परिलक्षित होता है कि स्वयं उसके द्वारा अपनी पत्नी को गोली मार दी गई और बाद में अपने पिता व भाई को बुलाकर के उसके द्वारा घटनास्थल पर अज्ञात बदमाशों के आने और अज्ञात बदमाशों के द्वारा उसकी पत्नी मनु को गोली मारे जाने का झूठा आधार बचाव में लिया जा रहा है। यदि कोई अज्ञात बदमाश जिनका उद्देश्य कि मनु के जेबर आदि को लूटने का था तो निश्चित रूप से वह उसके निकट आकर पहले उससे सामान छुड़ाने का प्रयास करते और इस दौरान उसके द्वारा यदि प्रतिरोध किया जाता तो वह सीधे उसे सीने में गोली नहीं मारी जाती।



52. अभियोजन के द्वारा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, एक खाली कारतूस का खोका पीतल का, एक जंजीर गले में पहनने वाली तथा बॉक्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 बी.बी. 0180 और मृत्तिका की प्लास्टिक की चूड़ी जप्त की जानी बताई गई है जो कि घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचे पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा घटनास्थल से उक्त वस्तुओं की जप्ती की जानी बताई गई है जो कि साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 और सरदारसिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी उक्त जप्ती के तथ्य एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 पर अपने हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत से दिनांक 04.07.2012 को ही पूछताछ की गई है जो कि उक्त आरोपी की गिरफ्तारी कर उससे पूछताछ करना और धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसका मेमो कथन लेखबद्ध करना जिसमें कि उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त कट्टा पुलन्दर के खण्डहर में छिपाकर रखे होना और चलकर बदामद करा देने इस आशय का मेमोरेण्डम प्र.पी. 15 लेखबद्ध करना, आरोपी रणजीत के बताए अनुसार पेश करने पर पुलन्दर गुर्जर के खेत से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना प्रारंभिक विवेचना अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा बताया गया है तथा जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा प्र.पी. 16 के अनुसार जप्त कट्टे को न्यायालय के समक्ष भी पहचान करते हुए उसे आर्टिकल ए1 के रूप में होना बताया है।

53. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा पेश करने पर कट्टा की जप्ती के तथ्य को अभियोजन साक्षी तहसीलदारसिंह अ0सा0 11 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इस बिन्दु पर यद्यपि अभियोजन साक्षी मुन्नालाल अ0सा0 2 के द्वारा उसके समक्ष जप्ती के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है, किन्तु इस संबंध में मेमोरेण्डम प्र.पी. 15 एवं जप्तीपत्रक प्र.पी. 16 पर अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा स्वीकार किया गया है।

54. प्रकरण के प्रारंभिक विवेचना अधिकारी शिवकुमार के प्रतिपरीक्षण उपरान्त इस बिन्दु पर उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कट्टा की पहचान भी न्यायालय में की गई है। प्र0आर0 तहसीलदार के द्वारा भी उक्त जप्ती के तथ्य की पुष्टि की गई है। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण पुलिस अधिकारीगण हैं उनके द्वारा की गई कार्यवाही को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं है। निश्चित तौर से घटना के तुरन्त पश्चात् जप्ती की कार्यवाही की जानी का तथ्य इस संबंध में किसी प्रकार की मेनिपुलेशन की संभावना को नकारता है।

55. यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा वस्तु परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गई जिसमें कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत से जप्तशुदा कट्टा

और घटना स्थल से बरामद कारतूस का खोका भी परीक्षण हेतु भेजा गया है जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र देशी निर्मित पिस्तौल ए1 315 बोर का होना पाया गया है जो कि चालू हालत में है और उसकी बरल में उसे पूर्व में चलाए जाने के अवशेष भी पाए गए हैं। परीक्षण हेतु भेजे गए चले हुए कारतूस का खोका जो कि ई.सी.1 के रूप में है उसके परीक्षण में भी उक्त खोका को पिस्तौल ए1 के द्वारा चलाए जाना पाया गया है। इस प्रकार घटनास्थल से जप्त कारतूस का खोका आरोपी से जप्त किया गये अग्नेयशस्त्र से ही चलाया जाना स्पष्ट होता है जो कि आरोपी की घटना में संलग्न होने के तथ्य को सम्पुष्ट करता है।

56. घटना कारित करने के हेतुक का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह आधार लिया गया है कि घटना कारित करने के संबंध में कोई भी हेतुक होना प्रमाणित नहीं होता है जो कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने के लिए मौजूद हो, ऐसी दशा में जब कोई हेतुक उसकी हत्या करने हेतु प्रमाणित नहीं है तो अभियोजन के द्वारा बताई गई परिस्थितियों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

57. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के तुरन्त पश्चात् घटना दिनांक को ही सूचना मिलने पर मृतिका के मायके पक्ष के उसके पिता पूरनसिंह, चचेरा भाई कल्ली गुर्जर घटनास्थल पर पहुँच गया थे एवं पुलिस के द्वारा उनके पहुँचने के पश्चात् उसी दिन उनके धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गए हैं, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि लडकी मनु की बिदा करा ले जाने के संबंध में आरोपी के द्वारा विवाद किया गया जिसमें कि झगडा होने की नौवत भी आ गई थी और लडकी को मुश्किल से तैयार कर रणजीत के साथ भेजा गया था और उसके द्वारा उस समय भी धमकी दी गई थी। इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1 तथा कल्ली अ0सा0 5 के द्वारा न्यायालय में हुए कथन में घटना दिनांक को मृतिका मनु के बिदा होने को लेकर कोई विवाद आदि होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है और इस संबंध में साक्षी पूरनसिंह के द्वारा पुलिस कथन प्र.पी. 4 और साक्षी कल्ली गुर्जर के द्वारा पुलिस कथन प्र.पी. 11 में ए से ए भाग के कथन पुलिस को न देना बताया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी रणजीतसिंह के सगे छोटे भाई को मृतिका मनु की सगी छोटी बहन विहायी है जैसा कि इस संबंध में अभियोजन साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 1, राजेन्द्र तथा कल्ली गुर्जर के साक्ष्य कथन कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह आया है। वह वर्तमान में अपने ससुराल में ही आरोपी के परिवार में रह रही है। ऐसी दशा में यदि उक्त अभियोजन साक्षी जो कि मृतिका के मायके पक्ष

के है के द्वारा अपनी दूसरी लडकी के हित को देखते हुए इस संबंध में न्यायालय में साक्ष्य कथन के दौरान कोई बात नहीं बताई जा रही हो तो यह स्वभाविक हो सकता है कि वह परिवार में विवाद से बचने एवं छोटी लडकी के हित को देखते हुए इस संबंध में न्यायालय में कथन करने से बच रहे हो।

58. हेतुक का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य आने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पति पत्नी के बीच जो कि एक साथ मोटरसाइकिल से आ रहे थे और नारुपुरा से बंकेपुरा जो कि करीब 70 किलोमीटर दूर है तक साथ आए और इस दौरान रास्ते में पति रणजीत और पत्नी मनु के मध्य किसी बात या किन्हीं बातों को लेकर आपस में विवाद की स्थिति बन गई हो और वह विवाद ही उसके पति रणजीत के द्वारा उसे गोली मारने की परिणीत हुआ हुआ हो इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल आरोपी रणजीत के गांव के पास है जहाँ कि कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद नहीं था और उसके पति जो कि स्वयं आरोपी के रूप में है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह स्वयं अपनी पत्नी से विवाहद होने के संबंध में कोई तथ्य बताए। ऐसी दशा में यद्यपि अभियोजन साक्षीगण पूरनसिंह अ0सा0 1 और कल्ली गुर्जर अ0सा0 5 जिन्होंने कि मनु की बिदा को लेकर आरोपी के द्वारा विवाद करना अपने पुलिस कथन में बताया है और उनके बीच यह विवाद की स्थिति घटना के पूर्व रास्ते में बनी हो इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। हेतुक का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **नथुनी यादव वि० स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1808** में अवधारित किया गया है कि कई बार हत्या बिना किसी हेतुक के भी हो जाती है। ऐसी दशा में मृतिका की मृत्यु कारित करने हेतु हेतुक का अभाव हो ऐसा नहीं माना जा सकता है।

59. इस प्रकार प्रकरण में आरोपी रनु उर्फ रणजीत के मृत्यु मनु की हत्या की घटना के संबंध में जो परिस्थितियाँ अभियोजन के द्वारा बताई गई है। उक्त समग्र परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस बात की सभी संभावनाएँ है कि मनु की हत्या का अपराध आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा की गई है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा उक्त अपराध कारित करने के संबंध में कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आरोपी के द्वारा बचाव में लिया गया आधार भी झूठे होना पाए गए है जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कड़ी के रूप में है और इससे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

बिन्दु क्रमांक 7 व 8:-



60. अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी रनु उर्फ रणजीत के आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा जप्त किया गया है जिसको रखने हेतु उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। वह अवैध रूप से उसे रखे हुए था। उक्त अग्नयेशस्त्र कट्टे का उपयोग उसने घटना कारित करने में किया जाना भी बताया गया है।

61. उपरोक्त संबंध में प्रकरण के प्रारंभिक विवेचना अधिकारी/जप्तीकर्ता अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत का मेमोरेण्डम कथन लिया गया और उसके आधार पर उसके पेश करने पर प्र.पी. 16 के अनुसार कट्टे की जप्ती की जानी बताई गई है। इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना के दौरान भी यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया गया है कि कट्टे की जप्ती का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन से नहीं हुआ है। स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं। मात्र इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन तथा अन्य साक्षी प्र0आर0 तहसीलदार के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा **सलीम अख्तर वि0 स्टेट ऑफ उत्तर-प्रदेश ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 4076** पेश किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में यह बताया है कि यदि जप्ती के स्थान के आसपास वस्ती हो और कोई स्वतंत्र साक्षी को बरामदगी के संबंध में नहीं हो तो इससे बरामदगी की कार्यवाही पर प्रश्नचिह्न उठता है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि साक्षी पुलिस अधिकारी है उसके साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर **करमजीत वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. 2004(2) जे.एल.जे. 425** पेश किया गया है। जिसमें कि माननीय न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि साक्षी पुलिस अधिकारी है उनके साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य को सामान्य साक्ष्य की तरफ लेना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बिना किसी अच्छे आधार के पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार **स्टेट ऑफ आसाम वि0 मोहिम बर्कताकी ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 98** में भी अवधारित किया गया है कि साक्षी पुलिस अधिकारी है मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है, जबकि तक अभिलेख पर उसके प्रतिकूल होने का कोई तथ्य मौजूद न हो। उक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि जप्ती के संबंध में स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के स्पष्ट न्यायालयीन कथन है



तथा जिसकी पुष्टि अन्य साक्षी तहसीलदार अ0सा0 11 के कथन से हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती की कार्यवाही घटना के तुरन्त पश्चात् की गई है। ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है कि उक्त साक्षीगण के द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत को इस संबंध में झूठा लिप्त किया जा रहा है। इस प्रकार आरोपी रनु उर्फ रणजीत से 315 बोर के अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित होता है और उक्त जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र के रखने हेतु उसके पास कोई भी लाइसेंस होना भी नहीं पाया जाता है।

62. उपरोक्त जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है और परीक्षण में उक्त अग्नेयशस्त्र को 315 बोर देशी निर्मित पिस्तौल जो कि चालू हालत में होना और फायर करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकना पाया गया है और उसके बैरल में उससे फायर किये जाने के अवशेष मौजूद होना पाए गए हैं जैसा कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 से स्पष्ट है।

63. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा प्रदान की गई है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी राजू शाक्य अ0सा0 12 तत्कालीन आर्म्स लिपिक जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड के द्वारा आरोपी रनु उर्फ रणजीत के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र.पी. 28 के अनुसार दी जाने और उस पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर होने को प्रमाणित किया गया है और बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार उक्त आरोपी के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्राप्त होना भी प्रमाणित है।

64. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी रनु उर्फ रणजीत के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा जप्त होना प्रमाणित है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल से कारतूस के खोका की जप्ती भी हुई है जैसा कि प्र.पी. 3 के जप्ती पत्रक में उक्त जप्ती का तथ्य प्रमाणित है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में स्पष्ट रूप से यह अभिमत आया है कि उक्त जप्तशुदा खोका जो कि घटनास्थल से जप्त किया गया है वह जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र 315 बोर की पिस्तौल से चलाया गया है। मृतिका के कपड़े जो कि परीक्षण हेतु भेजे गए हैं जिनमें मृतिका की साड़ी में गनशॉट छिद्र होना भी पाये गए हैं तथा मृतिका की साड़ी व ब्लाउज तथा आरोपी रणजीत के शर्ट व पैंट जिनका कि परीक्षण किया गया है में भी मानव रक्त होना पाए गए हैं।

65. इस प्रकार आरोपी रनु उर्फ रणजीत से जो अग्नेयशस्त्र जप्त किया गया है वह बिना वैध लाइसेंस के होना एवं उक्त अग्नेयशस्त्र को उसके द्वारा घटना कारित करने हेतु उपयोग में लाया जाना प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से प्रमाणित होना पाया जाता है।

66. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा अपनी पत्नी मृतिका मनु की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की। यह भी प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत अपने आधिक्य में एक 315 बोर का कट्टा(पिस्तौल) बिना बैध अनुज्ञप्ति रखे हुए पाया गया और उसके द्वारा उक्त अवैध अग्नेयशस्त्र का उपयोग मनु की हत्या कारित करने में किया गया। यद्यपि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा मृतिका के जेबरातों का दुर्विनियोग करने के संबंध में आरोपी की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। जहाँ तक अन्य विचारित किये जा रहे आरोपीगण जितेन्द्र एवं बंटी का प्रश्न है उक्त आरोपीगण के विरुद्ध मृतिका मनु की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होना तथा हत्या की साक्ष्य का बिलोपन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है और आरोपी बंटी के द्वारा मृतिका के कब्जे की सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है।

67. तदनुसार आरोपी रनु उर्फ रणजीत को आरोपित धारा 302 भा0द0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए, 27(3) आयुध अधिनियम के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जबकि उक्त आरोपी को धारा 404 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी जितेन्द्र को धारा 302 सहपठित धारा 120 भा0द0वि0 एवं धारा 201 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और आरोपी बंटी को धारा 302 सहपठित धारा 120, 201 भा0द0वि0 एवं धारा 404 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

68. आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। आरोपी रनु उर्फ रणजीत को अभिरक्षा में लिया जाता है।

69. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

70. आरोपी रनु उर्फ रणजीत के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अभिभाषक एवं शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक के द्वारा व्यक्त किया गया कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड से आरोपीगण को दण्डित किया जाए। आरोपी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। ऐसी दशा में न्यूनतम दण्ड का निवेदन किया है।

71. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथा आरोपीगण जिसके संबंध में पूर्व में कोई दोषसिद्ध होनी भी प्रमाणित नहीं है को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण बिरल से बिरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचीसिंह बनाम पंजाब राज्य में बिरल से बिरलतम प्रकरणों की स्थिति दर्शाई गई है।

72. विचारोपरांत रनु उर्फ रणजीत को धारा 302 भा0दं0वि0 एवं धारा 25-1(1-बी)ए एवं धारा 27(3) आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित होना पाया गया है, घटना की प्रकृति, तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को धारा 302 भा0दं0वि0 के आरोप हेतु **आजीवन कारावास** एवं 5000/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 25-1(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अपराध **02 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **700/-** रुपए अर्थदण्ड व धारा 27(3) आयुध अधिनियम के अपराध हेतु **03 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **800/-** अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में उपरोक्त वर्णित धाराओं के अंतर्गत क्रमशः तीन वर्ष, तीन माह, चार माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

73. आरोपी को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

74. प्रकरण के अनुसंधान, जाँच एवं विचारण के दौरान आरोपी रनु उर्फ रणजीत के द्वारा न्यायिक निरोध में भुगताई गई सजा मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा

428 दं.प्र.सं. के अनुसार प्रमाणपत्र तैयार हो।

75. प्रकरण में जप्तशुदा सोने एवं चांदी के जेबरात जो कि न्यायालय में पेश नहीं है वह थाने में रखे जाने बताए गए हैं। जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 के अनुसार घटनास्थल से जप्त जंजीर, प्र.पी. 6 के अनुसार बृजवाला, चांदी की दो जोड़ तोड़िया, प्र.पी. 18 के अनुसार जप्त सोने का सीतारानी हार, चार चूड़ी सोने की, प्र.पी. 19 के अनुसार जप्त एक नग मंगलसूत्र, दो सोने की अंगूठी तथा मृत्तिका की 6 साड़ियाँ और उसका बेग व कॉच की चूड़ियों का डिब्बा जो कि उसका था एवं उसका स्त्रीधन की श्रेणी का होने के कारण और उसके पति के विरुद्ध स्वयं उसकी हत्या का अपराध प्रमाणित होने के कारण उक्त जप्तशुदा वस्तुएँ उसके माता पिता को अपील अवधि पश्चात् बापस की जाए। प्रकरण में प्र.पी. 30 के जप्तीपत्रक अनुसार जप्तशुदा एक जंजीर जो कि आरोपी रनु उर्फ रणजीत के गले की जंजीर है उसे उक्त जंजीर अपील अवधि पश्चात् बापस की जाए।

76. प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का खाली खोका अपील अवधि पश्चात् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल एम.पी. 30 बी.बी. 0180 उसके स्वामी जण्डेलसिंह निवासी बंकेपुरा को सुपुर्दगी पर दिया गया है, उक्त सुपुर्दगीनामे को अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जाए।

77. प्रकरण में जप्तशुदा बताई गई अन्य मोटरसाइकिल डिस्क्वर क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 3089 के स्वामित्व का कोई प्रमाण पेश नहीं है। उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पेश होने पर उसे उसके स्वामी को बापस करने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में कोई स्वामी नहीं आता है तो 6 महीने के पश्चात् राजशात कर उसकी राशि राजकोष में जमा की जाए। प्रकरण में जप्तशुदा एक नोकिया मोबाइल, एक इन्टेक्स कम्पनी का मोबाइल के संबंध में स्वामित्व प्रमाण पेश करने पर उसके स्वामी को बापस किये जाए। यदि उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में कोई स्वामी नहीं आता है तो 6 महीने के पश्चात् राजशात कर उसकी राशि राजकोष में जमा की जाए।

78. घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, काले रंग का रेगजीन का पर्स, टी-शर्ट, वांस की लाठी, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए।



79. जप्तशुदा वस्तुओं के संबंध में उपरोक्त आदेश के संबंध में अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)